राज्य में दिव्यांगों को भर्ती के साथ पदोन्नति में भी आरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार नियम संशोधन-2021 जारी कर सभी सरकारी विभागों में दिव्यांगों के सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में दिये जाने वाले आरक्षण के प्रावधान के संबंध में परिपत्र जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत अब राज्य में सरकारी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- इसके साथ ही राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट देने का भी प्रावधान किया है।
- दिव्यांगों की मदद के लिये सरकारी विभागों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जो दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न मामलों को देखेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reservation-in-promotion-along-with-recruitment-to-the-differently-abled-people-in-the-state